

खाद्य निरीक्षक मॉड्यूल User Manual

(खाद्य निरीक्षक मॉड्यूल खाद्य विभाग की वेबसाईट (cg.nic.in/khadya) के सार्वजनिक वितरण प्रणाली आनलाईन लिंक के अंतर्गत स्थित है ।)

खाद्य निरीक्षक मॉड्यूल

खाद्य की वेबसाईट (cg.nic.in/khadya) → सार्वजनिक वितरण प्रणाली आनलाईन→ खाद्य निरीक्षक

- 1. खाद्य निरीक्षक लागिन फार्म** :- खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी द्वारा दिये गये आई.डी एवं पासवर्ड द्वारा खाद्य निरीक्षक मॉड्यूल में लागिन होगा ।
– लागिन होने पश्चात मानिटर पर उचित मूल्य दुकान की विक्रय की जानकारी (घोषणा पत्र) प्रदर्शित होगी ।
- 2. उचित मूल्य दुकान का विक्रय (घोषणा पत्र)** :- घोषणा पत्र की प्रविष्टि निम्नानुसार की जाएगी:-
 1. सर्वप्रथम माह का चयन किया जावे
 2. वर्ष का चयन किया जावें ।
 3. प्रदाय केंद्र चुना जावें ।
 4. उचित मूल्य दुकान का आई.डी. क्रमांक चुना जावें ।
 5. तत्पश्चात सभी योजनाओं की सूची माह में कुल उपलब्धता सहित प्रदर्शित होगी। जिनमें माह में उचित मूल्य दुकान में विक्रय की एंट्री की जा कर सुरक्षित करे ।
- 3. पंचनामा** :- पंचनामा फार्म की एंट्री निम्नानुसार की जाएगी :-
 1. सर्वप्रथम माह का चयन किया जावे ।
 2. वर्ष का चयन किया जावें ।
 3. प्रदाय केंद्र चुना जावें ।
 4. पंचनामा कोड का चयन किया जावे ।

5. उपरोक्त चयन उपरांत विभिन्न योजनाओं के विरुद्ध काटे गए ट्रक चालान के अनुसार प्रेषित वजन, वैरायटी इत्यादि की सूची दिखेगी जिसमें प्राप्त वजन (क्विं. में) की एंट्री की जाकर व रिमार्क डालकर सुरक्षित किया जावे ।
4. दुकानवार मोबाईल नंबर की प्रविष्टि :- उक्त फार्म मे संबंधित खाद्य निरीक्षक के अंतर्गत आने वाले उचित मूल्य दुकानों की आई.डी., नाम, ग्राम/शहर प्रदर्शित होगी । जिसमें उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन का मोबाईल नंबर की एंट्री की जानी है ।
5. निरीक्षक रिपोर्ट प्रविष्टि:-
1. नया :- उक्त प्रविष्टि में खाद्य निरीक्षक द्वारा उचित मूल्य दुकान में किये गये निरीक्षण के रिपोर्ट की एंट्री की जानी है । जो निम्नानुसार है :-
 1. माह का चयन करें ।
 2. वर्ष का चयन करें ।
 3. दुकान की आई.डी. का चयन करें ।
 4. क्या दुकान का निरीक्षण किया गया (हां/नहीं) ।तत्पश्चात अन्य दिये गये विकल्पों का चयन कर तथा डाटा की एंट्री कर सुरक्षित किया जाए ।
 2. निरस्त करें :- उक्त फार्म द्वारा निरीक्षण किये गये उचित मूल्य दुकान को निरस्त किया जा सकता है ।
 3. प्रिंट करें :- उक्त द्वारा माह, वर्ष एवं निरीक्षण की स्थिति का चयन कर विवरण देखकर रिपोर्ट प्रिंट किया जा सकता है ।
6. रिपोर्ट :-
- माहवार जानकारी
 - क्रम रहित दुकानों की सूची
 - ट्रक चालान दैनिक रिपोर्ट

- दुकानवार राशनकार्ड एवं आबंटन
- उ.मु.दु. की विक्रय सूचि
- अप्राप्त डी.डी. सूची
- डी.डी.विवरण
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली आबंटन
- कल्याणकारी योजना आबंटन
- दुकानें जिनके डी.ओ. नहीं बनाये गए
- दुकाने जिनका ट्रक चालान नहीं बना है /अपूर्ण है
- दुकानें जिनका पंचनामा प्राप्त नहीं हुआ है
- स्कीमवार पंचनामा प्राप्ति विवरण
- डी.ओ. का विवरण
- ट्रक चालान का विवरण